


अहकाम
में जारी
हुए

14/9/23

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जा
हुकम की तामील
में जारी हुए

पञ्जावली निमत दिनांक से गिरकर आज
पेश हुई। पञ्जावली का अवलोकन किया
जाया। प्रार्थों की ओर से कोई उपस्थित
नहीं। प्रार्थों के द्वारा अप्रार्थों गहनी
को जारी नोटिस धारा 13(2) की प्रार्थी
रसीद का डिलरी जोह कोफिल प्रमाण सक्षम
पञ्जावली में नहीं है जो नियमानुसार
आवश्यक है अतः इसके अभाव में प्रकरण
पर विचार किया जाना उचित नहीं
पाते है प्रकरण उक्त रसीद के अभाव में
इसी stage पर खारिज किया जाता
है प्रार्थों नियमानुसार पूर्णों की जाकर
पुनः प्रकरण पेश करने को स्वतंत्रता
है पञ्जावली धाड़ कार्यवाही दाखिल
दफ्तर है।


जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)